2007 का विधेयक संख्यांक .

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2007

खंडों का क्रम

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना ।
3. परिभाषाएं ।
4. संस्थान का निगमन ।
5. संस्थान का गठन ।
6. सदस्यों की पदावधि और उनके बीच होने वाली रिक्तियां ।
7. सभापति की शक्तियां और कृत्य ।
8. सभापति और सदस्यों के भत्ते ।
9. संस्थान के अधिवेशन ।
10. संस्थान का शासी निकाय और अन्य समितियां ।
11. संस्थान के कर्मचारिवृन्द ।
12. संस्थान के उद्देश्य ।
13. संस्थान के कृत्य ।
14. संपत्ति का निहित होना ।
15. संस्थान को संदाय ।
16. संस्थान की निधि ।
17. संस्थान का बजट ।
18. लेखा और लेखा परीक्षा ।
19. वार्षिक रिपोर्ट ।
20. पेंशन और भविष्य-निधि ।
21. संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ।
22. कार्यों और कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य न होना ।
23. संस्थान द्वारा आयुर्विज्ञान उपाधियां, डिप्लोमें, आदि का प्रदान किया जाना ।
24. संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता ।

खंड

25. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण ।
26. मतभेदों का समाधान ।
27. विवरणियां और जानकारी ।
28. विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण ।
29. नियम बनाने की शक्ति ।
30. विनियम बनाने की शक्ति ।
31. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

2007 का विधेयक संख्यांक .

[दि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी बिल, 2007 का हिन्दी अनुवाद]

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2007

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2007 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना ।

2. पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में स्थित जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नामक संस्था के उद्देश्य ऐसे हैं जिनसे वह संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था बन सकती है, अतः इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में स्थित जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नामक संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निधि" से धारा 16 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(ख) "शासी निकाय" से संस्थान का शासी निकाय अभिप्रेत है ;

(ग) "संस्थान" से इस अधिनियम के अधीन निगमित जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नामक संस्था अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से संस्थान का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "विनिर्दिष्ट" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ।

संस्थान का निगमन ।

4. संस्थान का निगमन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी को पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय गठित किया जाता है और ऐसे निगमित निकाय के रूप में उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

संस्थान का गठन ।

5. (1) संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का भारसाधक मंत्री - अध्यक्ष ;

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार का सचिव - पदेन ;

(ग) पुडुचेरी विश्वविद्यालय का कुलपति, पदेन ;

(घ) तमिलनाडु, एम.जी.आर. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय तमिलनाडु का कुलपति - पदेन ;

(ङ) भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक, पदेन ;

(च) संस्थान का निदेशक, पदेन ;

(छ) मुख्य सचिव, पुडुचेरी सरकार, पदेन ;

(ज) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिती (संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून) - पदेन ;

(झ) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिती (संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून) - पदेन ;

(ञ) सात व्यक्ति जिनमें से एक व्यक्ति भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगम का प्रतिनिधित्व करने वाला गैर चिकित्सा वैज्ञानिक होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(ट) भारतीय विश्वविद्यालयों की आयुर्विज्ञान संकाय के चार प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, नामर्निदिष्ट किए जाएंगे ; और

(ठ) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र से दो संसद् सदस्य एक लोक सभा से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और एक राज्य सभा से राज्य सभा के सभापति द्वारा प्रत्येक से नामनिर्देशित किया जाएगा ।

(2) यह घोषित किया जाता है कि संस्थान के सदस्य का पद, उसके धारक को संसद् के प्रत्येक सदन का सदस्य चुने जाने या होने से निरर्हित नहीं करेगा ।

सदस्यों की पदावधि और उनके बीच होने वाली रिक्तियां ।

6. (1) इस धारा में, जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से पांच वर्ष होगी ।

(2) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (1) के अधीन नामनिर्देशित किसी सदस्य की पदावधि उसके मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री या लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा का उपाध्यक्ष बनते ही या उस सदन का जिससे उसका नामनिर्देशन होता है सदस्य नहीं रहता है, समाप्त हो जाएगी ।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह पद को धारण किए रहता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है ।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि के लिए रहेगी, जिसके लिए वह नामनिर्देशित या निर्वाचित हुआ था ।

(5) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (1) के अधीन निर्वाचित सदस्य से भिन्न पदावरोही सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे, तब तक पद पर, बना रहेगा, जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता ।

(6) पदावरोही सदस्य पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा ।

(7) सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित लेख द्वारा जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे, अपना पद त्याग सकेगा किन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक सरकार उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लेती ।

(8) सदस्यों के बीच रिक्तियां भरने की रीति वह होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाए ।

सभापति की शक्तियां और कृत्य ।

7. सभापति उन शक्तियों का प्रयोग और उन कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम में अधिकथित हैं या विहित किए जाएं ।

सभापति और सदस्यों के भत्ते ।

8. सभापति और अन्य सदस्य संस्थान से ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

संस्थान के अधिवेशन ।

9. संस्थान अपना पहला अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार नियत करे और पहले अधिवेशन में कार्य-संचालन के संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगा जो उस सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं और तत्पश्चात् संस्थान ऐसे समय और स्थान पर अपना अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशन में कार्य-संचालन के

संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, पालन करेगा ।

संस्थान का शासी निकाय और अन्य समितियां ।

10. (1) संस्थान का एक शासी निकाय होगा जिसका गठन संस्थान द्वारा ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, किया जाएगा :

परन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या, जो संस्थान के सदस्य नहीं हैं, शासी निकाय की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी ।

(2) शासी निकाय, संस्थान की कार्यपालक समिति होगी और वह उन शक्तियों का प्रयोग और उन कृत्यों का निर्वहन करेगी जिन्हें संस्थान, इस निमित्त विहित करे ।

(3) संस्थान का सभापति शासी निकाय का अध्यक्ष होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(4) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और उनके बीच रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) ऐसे नियंत्रण और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संस्थान उतनी स्थायी समितियां और उतनी तदर्थ समितियां गठित कर सकेगा जितनी वह संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे विषय में जो संस्थान उन्हें निर्दिष्ट करे, जांच करने अथवा उसके संबंध में रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे ।

(6) शासी निकाय के अध्यक्ष और सदस्य तथा किसी स्थायी समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

संस्थान के कर्मचारिवृन्द ।

11. (1) संस्थान का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो संस्थान के निदेशक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु संस्थान का प्रथम निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) निदेशक, संस्थान और शासी निकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(3) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं जो उसे संस्थान द्वारा या संस्थान के सभापति द्वारा या शासी निकाय द्वारा या शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(4) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संस्थान उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जितने उसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और ग्रेड अवधारित कर सकेगा ।

(5) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संस्थान के निदेशक तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों और अन्य विषयों से शासित होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

संस्थान के उद्देश्य ।

12. संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे--

(क) आयुर्विज्ञान शिक्षा की सभी शाखाओं में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के प्रतिमान को इस प्रकार विकसित करना जिससे कि आयुर्विज्ञान शिक्षा का एक ऊंचा स्तर प्रदर्शित हो सके ;

(ख) स्वास्थ्य क्रियाकलाप की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम कोटि की शिक्षा सुविधाएं यथासाध्य एक स्थान पर एकत्रित करना ; और

(ग) देश की विशेषज्ञों और आयुर्विज्ञान अध्यापकों की आवश्कता पूर्ति के लिए स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ।

संस्थान के कृत्य ।

13. संस्थान, धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के संवर्धन की दृष्टि से--

(क) आधुनिक आयुर्विज्ञान तथा अन्य सहबद्ध विज्ञानों में, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान है, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था कर सकेगा ;

(ख) ऐसे विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के लिए सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा ;

(ग) मानविकी के शिक्षण की व्यवस्था कर सकेगा ;

(घ) समाधानप्रद मानकों को स्थापित करने के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर, दोनों में आयुर्विज्ञान शिक्षा की नई पद्धतियों में प्रयोग करा सकेगा ;

(ङ) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा ;

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित की स्थापना और उन्हें बनाए रख सकेगा--

(i) निवारक और सामाजिक आयुर्विज्ञान विभाग सहित विभिन्न विभागों वाला एक या अधिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जिनमें न केवल स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा, किन्तु स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए भी पर्याप्त कर्मचारिवृन्द और साधन हों ;

(ii) एक या अधिक सुसज्जित अस्पताल ;

(iii) दंत चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें दंत चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए और विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी संस्थागत सुविधाएं हों, जो आवश्यक हों ;

(iv) परिचर्या महाविद्यालय, जिसमें नर्सों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृन्द हों और इस निमित्त पर्याप्त रूप से सज्जित उपस्कर हों ;

(v) ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य संगठन, जो संस्थान के आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा और परिचर्या के विद्यार्थियों को क्षेत्र प्रशिक्षण देने के लिए और साथ ही सामुदायिक, स्वास्थ्य समस्याओं में अनुसंधान करने के लिए केन्द्र बनाना ; और

(vi) विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जैसे भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, भेषजज्ञ, औषधि विश्लेषक और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा तकनीकियों के प्रशिक्षणार्थ अन्य संस्थाएं ;

(छ) भारत में विभिन्न आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करना ;

(ज) स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में परीक्षाएं संचालित करना और ऐसी उपाधियां, डिप्लोमें तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां देना जो विनियमों में अधिकथित की जाएं ;

(झ) आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और किसी अन्य पद को विनियमों के अनुसार संस्थित करना और उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(ञ) सरकार से अनुदान प्राप्त करना तथा संदाताओं, उपकारियों, वसीयतकर्ताओं या अंतरकों द्वारा, यथास्थिति, दान, संदान, उपकृतियों, वसीयतों तथा जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति के अंतरणों को प्राप्त करना ;

(ट) संस्थान की या उसमें निहित किसी संपत्ति के संबंध में ऐसी किसी रीति से कार्यवाही करना जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझी जाए ;

(ठ) ऐसे फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना, जो विनिदिष्ट किए जाएं ;

(ड) अपने कर्मचारिवृंद के लिए आवासगृहों का निर्माण करना और ऐसे आवासगृहों को, ऐसे विनियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाए जाएं, कर्मचारिवृन्द को आबंटित करना ;

(ढ) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, संस्थान की संपत्ति की प्रतिभूति पर, धन उधार लेना ;

(ण) ऐसे अन्य कार्य और बातें करना जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और आवश्यक हों ।

संपत्ति का निहित होना ।

14. जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, पुडुचेरी की संपत्ति जो केन्द्रीय सरकार में निहित है, इस अधिनियम के प्रारंभ पर संस्थान में निहित होगी ।

संस्थान को संदाय ।

15. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि ऐसी रीति से देगी जिसे वह सरकार इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ।

संस्थान की निधि ।

16. (1) संस्थान एक निधि कायम रखेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे-

(क) वह सभी धन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया हो ;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस तथा अन्य प्रभार ;

(ग) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत अथवा अंतरणों के रूप में संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन ; और

(घ) किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धन ।

(2) निधि में जमा किया गया सभी धन ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित किया जाएगा जिसे संस्थान, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे ।

(3) निधि का, संस्थान के व्ययों की, जिनके अंतर्गत धारा 13 के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में किए गए व्यय भी हैं, पूर्ति के लिए उपयोग किया जाएगा ।

संस्थान का बजट ।

17. संस्थान, प्रतिवर्ष एक बजट आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को उतनी प्रतियां भेजेगा, जो विहित की जाएं ।

18. (1) संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित करे और ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी करे । लेखा और लेखा परीक्षा ।

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा किया गया कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखा, संबद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों तथा उसके द्वारा स्थापित और अनुरक्षित की गई संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखे, उन पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित, प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

19. संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिए, उस वर्ष के दौरान अपनी क्रियाकलाप के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उसके पूर्व, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी । वार्षिक रिपोर्ट ।

20. (1) संस्थान अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी पेंशन नियत करेगा और भविष्य निधि स्थापित करेगा जो वह ठीक समझे । पेंशन और भविष्य-निधि ।

(2) जहां ऐसी कोई पेंशन नियत की गई है या भविष्य निधि स्थापित की गई है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध उस निधि को वैसे ही लागू होंगे मानो वह सरकारी निधि हो । 1925 का 19

21. संस्थान के सभी आदेश और विनिश्चय निदेशक के या इस निमित्त संस्थान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और अन्य सभी लिखतें ऐसे अधिकारीयों के जो संस्थान द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी । संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ।

22. संस्थान, शासी निकाय या किसी अन्य स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि संस्थान शासी निकाय या ऐसी किसी स्थायी या तदर्थ समिति में कोई रिक्ति थी या उसके गठन में कोई त्रुटि रह गई थी । कार्यों और कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य न होना ।

23. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन आयुर्विज्ञान, दन्त, नर्स उपाधियां, डिप्लोमें और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां प्रदान करने की शक्ति होगी । संस्थान द्वारा आयुर्विज्ञान उपाधियां, डिप्लोमें, आदि का प्रदान किया जाना ।

संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता ।

24. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 और भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान उपाधियां और डिप्लोमें, दन्त उपाधियां और नर्स उपाधियां पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और अपने-अपने अधिनियमों की अनुसूचियों में सम्मिलित समझी जाएंगी ।

1956 का 10
1948 का 16
1947 का 48

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण ।

25. संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं ।

मतभेदों का समाधान ।

26. यदि संस्थान द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में या उसके संबंध में, संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद उठता है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

विवरणियां और जानकारी ।

27. संस्थान, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य जानकारी देगा जिसकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण ।

28. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ही प्रत्येक कर्मचारी जो उस तारीख से ठीक पूर्व जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के अधीन पद धारण किए हुए है, संस्थान में, उसी अवधि के लिए और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जिनमें पारिश्रमिक, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति और अन्य सेवांत प्रसुविधाएं भी सम्मिलित हैं, ऐसा पद धारण करेगा जैसे संस्थान निगमित ही नही किया गया हो और संस्थान के एक कर्मचारी के रूप में ऐसा करता रहेगा या जब तक उस तारीख से जिसको, ऐसा कर्मचारी संस्थान का कर्मचारी नहीं होने का विकल्प करता है छह मास की अवधि का अवसान नहीं हो जाता है ।

(2) उप धारा (1) के उपबंध, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा या किसी अन्य सेवा के सदस्यों पर, या संस्थान के बाहय काडर के व्यक्तियों पर जो इस अधिनियम के प्रारंभ् की तारीख से ठीक पूर्व संस्थान में कार्य कर रहे थे, भी लागू होंगे :

परन्तु जहां ऐसा कोई सदस्य उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संस्थान का कर्मचारी न होने के अपने आशय की सूचना देता है किन्तु प्रतिनियुक्ति पर बना रहता है वहां उसको ऐसे निबंधनों और शर्तो के अनुसार जो विहित किए जाएं, प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, संस्थान में, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनो और शर्तो के अनुसार जैसे विहित किए जाएं, अवधारित की जाएगी ।

(3) वे अधिकारी और कर्मचारी, जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पूर्व, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के अधीन किए हुए है, ऐसे पदनामों से जैसे संस्थान अवधारित करे, संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी होंगे और वे ऐसे विनियमों द्वारा जो पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों जिनमें पेंशन, छुट्टी और भविष्य निधि भी सम्मिलित हैं, के संबंध में बनाए जा सकेंगे, शासित होंगे और वह संस्थान का अधिकारी या कर्मचारी बना रहेगा जब तक कि उसका नियोजन, संस्थान द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता है ।

(4) जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर लिखित रूप में निम्नलिखित द्वारा शासित होने के अपने विकल्प का प्रयोग करेगा :—

(क) ऐसे प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व, जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी में उसके द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतनमान ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सरकार के नियमों या आदेशों या छुट्‌टी, भविष्य निधि या अन्य सेवांत प्रसुविधाओं के अनुसार अनुज्ञेय विनियमों के अधीन संस्थान के कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्‌टी, भविष्य निधि, सेवानिवृति या अन्य सेवांत प्रसुविधाएं,

और इस अधिनियम के अधीन एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प अंतिम होगा :

परन्तु किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा खंड (क) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प संस्थान के अधीन केवल उस पद के संबंध में लागू होगा जिस पर ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी नियुक्त किया गया है और संस्थान के अधीन किसी उच्चतर पद पर नियुक्त किया गया है और वह केवल ऐसे उच्चतर पद के लिए लागू वेतनमान के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और कि यदि उसकी नियुक्ति की तारीख के ठीक पूर्व कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी सरकार के अधीन किसी उच्च पद पर या तो छुट्‌टी के कारण हुई रिक्ति या किसी विनिर्दिष्ट अवधि की किसी अन्य रिक्ति पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा है तो ऐसी नियुक्ति पर उसका वेतन ऐसी रिक्ति की अनवसित अवधि के लिए संरक्षित होगा और तत्पश्चात्, वह सरकार के अधीन उस पद को लागू वेतनमान का हकदार होगा जिसको वह प्रतिवर्तित हुआ होता या संस्थान के अधीन उस पद को लागू वेतनमान का हकदार होगा जिस पर उसकी नियुक्ति की जाती है, जिनके लिए वह विकल्प दे सकेगा :

परंतु यह भी कि जब संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय या उससे संलग्न अथवा उसके अधीनस्थ किसी कार्यालय में सेवारत किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को मंत्रालय या कार्यालय में किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य करने के लिए प्रोन्नत किया जाता है, तब उस मंत्रालय या कार्यालय में ऐसी नियुक्ति से पूर्व उससे ज्येष्ठ किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की संस्थान में नियुक्ति के पश्चात् वह अधिकारी या अन्य कर्मचारी जिसे ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य करने के लिए प्रोन्नत किया जाता है, संस्थान में नियुक्ति पर, केवल उस पद को लागू वेतनमान का हकदार होगा जिसको वह तब धारण करता जब उसकी ऐसी प्रोन्नति नहीं हुई होती या संस्थान के अधीन उस पद को लागू वेतनमान का हकदार होगा जिस पर उसे नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए वह विकल्प दे सकेगा ।

(5) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अन्य कर्मचारी को--

(क) संस्थान के अधीन किसी समरूप या समतुल्य नियुक्ति करने के लिए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा ;

(ख) ऐसी जांच किए बिना, जिसमें उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सूचित करा दिया गया है और उन आरोपों के संबंध के सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है, पदच्युत या हटाया अथवा पंक्ति में अवनत नहीं किया जाएगा :

परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया जाता है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन करने का अवसर देना अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि खंड (ख) वहां लागू नहीं किया जाएगा जहां किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत या हटाया अथवा पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके कारण किसी आपराधिक आरोप के आधार पर उसकी दोषसिद्धि हुई है ।

(6) उपधारा (1) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के अधीन रहते हुए ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन भी है, उसके अलाभ तक परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

29. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ञ) और खंड (ट) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन रिक्तियां भरने की रीति ;

(ग) धारा 7 के अधीन संस्थान के सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(घ) धारा 8 के अधीन संस्थान के सभापति और अन्य सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन स्थायी और तदर्थ समितियों के गठन के संबंध में नियंत्रण और निर्बन्धन ;

(च) धारा 11 के अधीन संस्थान द्वारा नियुक्त संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पदावधि. वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(छ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब धारा 17 के अधीन बजट तथा रिपोर्टें संस्थान द्वारा तैयार की जाएंगी ;

(ज) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, देने का प्ररूप ;

(झ) धारा 19 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

30. (1) संस्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम से संगत हो, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे--

(क) धारा 9 के अधीन संस्थान के पहले अधिवेशन को छोड़कर शेष अधिवेशनों का बुलाया जाना तथा आयोजित किया जाना, वह समय और स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किए जाएंगे और ऐसे अधिवेशनों में कार्य संचालन ;

(ख) शासी निकाय और स्थायी तथा तदर्थ समितियों के गठन की रीति, उसकी पदावधि और उनमें होने वाली रिक्तियों को भरने की रीति, शासी निकाय; स्थायी तथा तदर्थ समितियों द्वारा धारा 10 के अधीन उनके कार्य संचालन, उनकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य तथा उपधारा (5) के अधीन सेवा की शर्तें ;

(घ) (i) स्नातक पूर्व और स्नात्तकोत्तर अध्ययनों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ;

(ii) खंड (ज) के अधीन परीक्षा संचालित करने और उपाधियां, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य सम्मान और पदवियां देने ;

(iii) आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य पद जो संस्थित किए जाए और वे व्यक्ति जिन्हें खंड (झ) के अधीन ऐसे पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा ;

(iv) खंड (ट) के अधीन संस्थान की संपत्तियों का प्रबंध ;

(v) खंड (ठ) के अधीन संस्थान द्वारा मांगी जा सकने वाली और प्राप्त की जा सकने वाली फीसों और अन्य प्रभारों,

को विनिर्दिष्ट करने के लिए धारा 13 के अधीन संस्थान की शक्तियां ;

(ङ) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन दी जाए या भविष्य निधि स्थापित की जाए ;

(च) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंध किया जा सकता है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियम, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए किसी विनियम को संस्थान द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तित या विखंडित कर सकेंगे ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

31. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम या विनियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

32. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी की स्थापना 1964 में प्राथमिक रूप से स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में शिक्षण के प्रतिमान विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी, जिससे कि शिक्षा के उच्च मानदंड स्थापित और प्रदर्शित किए जा सकें । संस्थान वर्षों से क्वालिटी शिक्षा और रोगी देखरेख की उत्तम परिदान सेवाएं प्रदान करता आ रहा है, तथापि यह मानव शक्ति के चयन की प्रक्रिया में अवरोधों, शिक्षण स्वायत्तता की कमी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों में नम्यता की कमी के कारण भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की तरह की अन्य संस्थाओं की तुलना में उतनी उन्नति नही कर सका ।

2. यह प्रस्ताव है कि संस्थान को एक कानूनी निगमित निकाय बनाया जाए और उसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 64 के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाए जिससे कि यह भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के अनुरूप उच्च स्तर की आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था के रूप में विकसित हो सके ।

3. यह विधेयक संस्थान को अपना स्वयं का पाठ्यक्रम विकसित करने, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई विचारधारा स्थापित करने और अपनी डिग्रियां प्रदान करने के लिए शैक्षणिक स्वायत्तता के साथ सशक्त करेगा और उसे उपयुक्त प्रत्यायोजित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा । इस संस्थान को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने से यह उत्कर्ष के एक आदर्श केन्द्र में विकसित होने के लिए समर्थ होगा ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **अंबूमणि रामदौस**

28 नवम्बर, 2006

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

खंड 2--पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी , के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करता है ।

खंड 3--विधेयक के विभिन्न उपबंधों में प्रयुक्त 'निधि', 'शासी निकाय', 'संस्थान', 'सदस्य', 'विहित' और 'विनिर्दिष्ट', कतिपय शब्दों की परिभाषाओं के लिए उपबंध करता है ।

खंड 4--जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी को उसी नाम से, कतिपय शक्तियों सहित, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा रखने वाले एक निगमित निकाय के रूप में निगमन का उपबंध करता है ।

खंड 5--संस्थान की संरचना के लिए उपबंध करता है, जिसमें इसके अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का भारसाधक मंत्री और इक्कीस अन्य सदस्य होंगे, इनमें आठ पदेन सदस्य, चिकित्सीय विशेषज्ञ, आदि और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र से दो संसद् सदस्य, सदस्य होंगे जिसमें लोक सभा से और राज्य सभा से एक-एक सदस्य होगा । इसमें यह भी उपबंध है कि संस्थान के सदस्य का पद, उसके धारक को, संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या होने से निरर्हित नहीं करेगा ।

खंड 6--संस्थान के सदस्य की पदावधि, उनका पुनःनामनिर्देशन और सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति के लिए उपबंध करता है ।

खंड 7--यह उपबंध करता है कि सभापति उन शक्तियों का प्रयोग और उन कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस विधेयक में अधिकथित हों या विहित किए जाएं ।

खंड 8--यह उपबंध करता है कि सभापति और अन्य सदस्य संस्थान से ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विहित किए जाएं ।

खंड 9--संस्थान का पहला अधिवेशन करने और उसके पश्चात् अधिवेशनों को करने की प्रक्रिया विहित करता है ।

खंड 10--यह अपेक्षा करता है कि संस्थान एक शासी निकाय का गठन करेगा और संस्थान का सभापति उसका अध्यक्ष होगा और जो संस्थान की अन्य समितियों से और उसकी शक्तियों और कृत्यों का संव्यवहार करेगा ।

खंड 11--संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए, जो संस्थान के निदेशक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और विहित रीति में नियुक्त किया जाएगा, उपबंध करता है । इसमें यह भी उपबंध है कि प्रथम निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा । इसमें यह भी उपबंध है कि निदेशक, संस्थान और साथ ही शासी निकाय का सचिव होगा । इसमें यह भी उपबंध है कि संस्थान, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उतने अधिकारियों और कर्मचारियों को, जितने आवश्यक हों, नियुक्त कर सकेगा और निदेशक तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

खंड 12--संस्थान के उद्देश्यों जैसे आयुर्विज्ञान शिक्षा का विकास करना और उसके ऊंचे मानकों को प्राप्त करना, स्वास्थ्य क्रियाकलाप की महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों का प्रशिक्षण, उच्चतर आयुर्विज्ञान शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ।

खंड 13--संस्थान के विभिन्न कृत्यों के लिए उपबंध करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ आधुनिक आयुर्विज्ञान और अन्य सहबद्ध विज्ञान में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था करना, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करना, प्रयोग करना, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा और परिचर्या महाविद्यालयों, अस्पताल, ऐसे ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य संगठन, जो क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए केन्द्र बन सकें, की स्थापना करना और उन्हें बनाए रखना करना, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप विनिर्दिष्ट करना, परीक्षा संचालित करना और उपाधियां, डिप्लोमें तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां देना और ऐसे अन्य सभी कार्य तथा बातें करना जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों ।

खंड 14--यह उपबंध करता है कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी की संपत्ति जो केन्द्रीय सरकार में निहित थी, संस्थान में निहित होगी ।

खंड 15--यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, संस्थान को इस विधेयक के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए धन उपलब्ध करा सकेगी ।

खंड 16--संस्थान द्वारा अनुरक्षित होने वाली ऐसी निधि के लिए उपबंध करता है जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन और सभी फीस, अन्य प्रभार, अनुदान, दान, संदान आदि जमा किए जाएंगे । यह, संस्थान के व्ययों के लिए निधि का उपयोग करने के लिए भी उपबंध करता है ।

खंड 17--संस्थान की प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए, विहित प्ररूप में, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को तैयार करने के संबंध में उपबंध करता है और यह, केन्द्रीय सरकार को उसे भेजने की अपेक्षा करता है ।

खंड 18--उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण और लेखाओं के वार्षिक विवरण को तैयार करने का उपबंध करता है जिसके अंतर्गत ऐसे प्ररूप में तुलन पत्र भी है जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी साधारण निदेशों के अनुसार विहित किया जाए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इनकी संपरीक्षा के लिए भी उपबंध करता है ।

खंड 19--केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली, संस्थान के क्रियाकलाप की विहित रूप में वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उपबंध करता है । यह खंड, ऐसी रिपोर्ट को संसद् के समक्ष रखने की भी अपेक्षा करता है ।

खंड 20--संस्थान अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, पेंशन और भविष्य निधि गठित करने के लिए उपबंध करता है । यह, केन्द्रीय सरकार को यह घोषणा करने के लिए सशक्त करती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध, उस निधि को वैसे ही लागू होंगे जैसे मानो वह सरकारी भविष्य निधि थी ।

खंड 21--यह उपबंध करता है कि संस्थान के सभी आदेश और विनिश्चय, निदेशक या संस्थान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

खंड 22--यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान, उसका शासी निकाय या किसी स्थायी या तदर्थ समिति की कोई कार्रवाई, संस्थान, शासी निकाय, स्थायी समिति या तदर्थ समिति के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी ।

खंड 23--यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को, इस विधेयक के अधीन, आयुर्विज्ञान, दंत, नर्सिंग, उपाधियां,

डिप्लोमें और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां और पदवियां प्रदान करने की शक्ति होगी ।

खंड 24--यह उपबंध करता है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956, दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948, भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान उपाधियां और डिप्लोमें, दंत उपाधियां और नर्स उपाधियां, उन अधिनियमों के अधीन मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और अपने-अपने अधिनियमों की अनुसूचियों में सम्मिलित समझी जाएंगी ।

खंड 25--यह उपबंध करता है कि संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो इस विधेयक के दक्ष प्रशासन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ।

खंड 26--यह उपबंध करता है कि यदि संस्थान द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन करने के संबंध में, संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद उठता है तो, उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

खंड 27--यह उपबंध करता है कि संस्थान, ऐसी रिपार्ट विवरणियां और अन्य जानकारी देगा, जिसकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

खंड 28--(i) संस्थान में, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के विद्यमान कर्मचारियों को उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जिनमें पारिश्रमिक, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति और अन्य सेवांत प्रसुविधाएं भी हैं, आमेलन के लिए, जब तक कि संबद्ध कर्मचारी, छह मास के भीतर संस्थान का कर्मचारी नहीं रहने का विकल्प करता है ; (ii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा या किसी अन्य सेवा के कर्मचारियों के आमेलन या प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तों के लिए ; (iii) संस्थान में आमेलन की दशा में, कतिपय मामलों में प्रोन्नति पर वेतन और अन्य हितों के संरक्षण के लिए उपबंध करता है ।

खंड 29--केन्द्रीय सरकार को, विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने और ऐसे विभिन्न उपबंधों को, जिनके अधीन ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, प्रगणित करता है, समर्थ बनाता है ।

खंड 30--संस्थान को, इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम, जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हो और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, बनाने के लिए समर्थ करता है । इसमें यह भी उपबंध है कि इस खंड के अधीन प्रथम विनियम, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जाएगा और इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम, संस्थान द्वारा परिवर्तित या विखंडित किया जा सकेगा ।

खंड 31--नियमों और विनियमों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए, उपबंध करता है ।

खंड 32--यह उपबंध करता है कि यदि इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जो इस विधेयक के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर करने के लिए कर सकेगी । इसमें यह भी उपबंध है कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा और इस खंड के अधीन किए गए सभी आदेश संसद् के प्रत्येक सदन में रखे जाएंगे ।

वित्तीय ज्ञापन

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी , को जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्थान है, विधेयक के खंड 2 के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का प्रस्ताव है । खंड 5 संस्थान के गठन का उपबंध करता है और खंड 8 संस्थान के सभापति और अन्य सदस्यों के भत्तों का उपबंध करता है । खंड 10 का उपखंड (6) शासी निकाय, स्थायी समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के भत्तों का उपबंध करता है । खंड 11 का उपखंड (5) संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का उपबंध करता है ।

खंड 15 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि अनुदान के रूप में संदाय करेगी जिसे केन्द्रीय सरकार इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु आवश्यक समझे ।

वर्तमान में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्थान को बजट सहायता उपलब्ध कराई जाती है । चालू वित्तीय वर्ष के लिए उसके व्ययों को चुकाने के लिए 104 करोड़ रुपए के बजट का उपबंध किया गया है । संस्थान को सहायता अनुदान के रूप में सरकारी बजट से सहायता मिलती रहेगी ।

विधेयक से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं होता है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 29 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । ऐसे नियम, अन्य बातों के साथ, (i) खंड 5 के उपखंड (1) के खंड (ञ) और (ट) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति ; (ii) खंड 6 के उपखंड (8) के अधीन रिक्तियों को भरने की रीति ; (iii) खंड 7 के अधीन संस्थान के सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति और निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों ; (iv) खंड 8 के अधीन सभापति और अन्य सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्तों ; (v) खंड 11 के अधीन संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों ; (vi) खंड 18 के उपखंड (1) के अधीन तुलनपत्रों सहित लेखाओं के वार्षिक विवरण के प्ररूप ; और (vii) खंड 19 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट के प्ररूप के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

विधेयक के खंड 30 का उपखंड (1) संस्थान को, केन्द्रीय सरकार को पूर्व अनुमोदन से, विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है जो विधेयक के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों । ऐसे विनियम, अन्य बातों के साथ, (i) संस्थान के अधिवेशनों को बुलाने और उनका आयोजन करने ; (ii) खंड 10 के अधीन शासी निकाय और स्थायी तथा तदर्थ समितियों के गठन की रीति, उनकी पदावधि, उनमें रिक्तियों को भरे जाने की रीति, ऐसी समितियों के सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्तों और उनके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनकी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन ; (iii) पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करने, परीक्षाएं लेने तथा डिग्रियां, डिप्लोमा आदि प्रदान करने, संस्थान के प्रबंध और उसकी पूर्विकताओं को विनिर्दिष्ट करने, ऐसी फीसों और अन्य प्रभारों, जो संस्थान द्वारा मांगी जा सकेंगी और प्राप्त की जा सकेंगी आदि के लिए खंड 13 के अधीन संस्थान की शक्तियों के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

खंड 30 का उपखंड (2) केन्द्रीय सरकार को उपखंड (1) में वर्णित पहले विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है जो बाद में संस्थान द्वारा परिवर्तित और अभिखंडित किए जा सकेंगे ।

विधेयक के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना भी अपेक्षित होगा ।

वे विषय जिनकी बाबत पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं हैं । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।